अध्याय – 2

नगर निगम महापौर के कृत्य –

नगर निगम के महापौर के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –

(क) धारा 58 में यथा –उपबंधित रूप में नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना ;

(ख) जब तक कि युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं हो गया हो, नगरपालिका की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना और धारा 337 की उप–धारा (2) के खण्ड (xiii) के अधीन तस्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना ;

(ग) नगरपलिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन और उसके अनुसार विनिर्विष्ट रूप से उस पर अधिरोपित या उसे प्रवत्त सभी कर्तव्यों का पालन और सभी शक्तियों का प्रयोग करना ; और

(ड.) ऐसे अन्य कार्यपालक कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जावें।

उप महापौर के कृत्य –

नगर निगम का उपमहापौर, महापौर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो महापौर उसे समय–समय पर प्रत्यायोजित करें। उप महापौर के निम्नलिखित कर्तव्य भी होंगे –

(क) महापौर की अनुपस्थिति में और जब तक युक्तियुक्त कारण से निवारित नहीं किया गया हो, नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना और जब इस प्रकार अध्यक्षता कर रहा हो, उसी प्राधिकार का प्रयोग करना जो उप–धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन अध्यक्ष में निहित है ; और

(ख) महापौर के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान, महापौर की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना।

मुख्यकार्यकारी अधिकारी की शक्तियॉ व कर्तव्य –

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जहॉ किसी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कोई कार्यवाहियॉ या संकल्प या महापौर का आदेश इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत हो, वहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने के लिये विधि के सुसंगत उपबन्धों को वर्णित करते हुए नगरपालिका, या समिति या महापौर को सलाह दे और नगरपालिका या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में या महापौर के आदेश पर यह तथ्य अभिलिखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरान्त ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या यथास्थिति या आदेश पर विसम्मतिका टिप्पण (Note of dissent) प्रस्तुत करे और यह सुनिश्चित करे कि ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या यथा स्थिति ऐसी कार्यवाहियां हाथ में लेने के सात दिवस के भीतर–भीतर उस मामले को राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत्य किसी अधिकारी को संसूचित करे।

(3) यदि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप–धारा (2) के अधीन उसके कर्तव्यों में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह उस उप–धारा में विनिर्विष्ट प्रकृति की कार्यवाहियों, संकल्प या आदेश के परिणाम स्वरूप नगरपालिका द्वारा उपगत किसी भी हानि के लिये व्यक्तिशः उत्तरदायी होगा और ऐसी हानि उससे उसी रीति से वसूल की जावेगी जिससे नगरपालिक बकायाएं वसूल की जाती है।

(4) उप–धारा (2) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण का परीक्षण करने के पश्चात् राज्य सरकार या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और वह नगरपालिका पर आबद्धकर होगा ;

परन्तु यदि विसम्मति का टिप्पण प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसा कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तो नगरपालिका कार्यवाहियों, या संकल्प, या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगी मानों विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(5) मुख्य कार्यकारी अध्किारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, समस्त संकल्पों, समस्त अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञाओं को, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका, समिति या महापौर के आदेश द्वारा मंजूर किये जायें या दिये जायें, अपने हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और कोई भी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या आदेश तब तक वैध तथा विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा इस प्रकार अधिप्रमाणित न कर दिया गया हो।

(6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो राज्य सरकार उसे विनिर्दिष्ट, प्रशासनिक अत्यावश्यकता में किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सौंपे।

(7) नगरपलिका को सम्बोधित या उसके लिए तात्पर्यित समस्त पत्राचार साधारणतया मुख्यकार्यकारी अधिकारी के नाम से भेजा जायेगा किन्तु महापौर को भी भेजा जा सकेगा और नगरपालिका की तरफ से जारी या किया गया समस्त पत्राचार साधारणतया मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और महापौर की मुहर और हस्ताक्षर से भी जारी किया जा सकेगा।

(8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका या उसकी किसी भी समिति की कार्यवाहियों में कार्यवृत्तों या अन्य दस्तावेज या वस्तु से ऐसा कोई भी उद्धरण प्रस्तुत करेगा, जो इस निमित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी समय–समय पर मांगे।

(9) मुख्य कार्यकारी अधिकारी –

(i) नगरपलिका के लेखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान उसके ध्यान में लायी गयी या लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित की गयी किसी भी त्रुटि या अनियमितता को हटाने के लिए तुरन्त कदम उठायेगा ;

(ii) नगरपलिका के धन या सम्पत्ति के सम्बन्ध में कपट, गबन, चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगरपालिका को करेगा।

(iii) नगरपालिका द्वारा अध्यपेक्षित कोई भी विवरणी, विवरण, लेखा या रिपोर्ट या अपने प्रभार में का कोई भी दस्तावेज या उनकी प्रति देगा ;

(iv) उसकी बैठक में विचाराधीन किसी विषय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देगा, किन्तु उस पर मतदान नहीं करेगा या उसमें कोई प्रस्थापना नहीं करेगा।

(v) नगरपलिका की नीतियों, विनिर्दिश्चयों और निदेशों को, यदि इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, को क्रियान्वित करेगा और नगरपालिका के सभी कार्यों और विकास योजनाओं के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा ;

(vi) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और उप–विधियों के अधीन या द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें ; और

(vii) अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अपने अधीनस्थ नगरपालिका के अधिकारियों और सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा।

वित्तीय शक्तियॉ –

1.	आयुक्त (मुख्यालय)	1.00 लाख रूपये तक।
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त	75.00 लाख रूपये तक।
3.	महापौर नगर निगम	100.00 लाख रूपये तक।
4.	नगर निगम बोर्ड	200.00 लाख रूपये तक।
5.	राज्य सरकार	200.00 लाख रूपये से अधिक।